UPHM010015712026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एससी/एसटी एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, हमीरपुर।

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं०–207/2026

आशा बनाम राममिलन यादव व 01 अन्य

अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस०
थाना– सुमेरपुर, जिला– हमीरपुर।

23.07.2026

प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों सहित अन्य प्रपत्रों का परिशीलन किया गया।

आवेदिका आशा पत्नी स्व० इन्द्रपाल द्वारा प्रार्थना पत्र 3क/1 समर्थित शपथ पत्र के माध्यम से कथन किया गया है कि वह ग्राम मुण्डेरा थाना सुमेरपुर जिला हमीरपुर उ०प्र० की निवासिनी है। दिनांक 02.05.2026 को शाम करीब 05:00 बजे उसका पुत्र रोहित पुत्र स्व० इन्द्रपाल मोहल्ले में ही जुलाहा बाबा के स्थान में बैठा था तभी वहां गांव का ही राममिलन यादव पुत्र सम्मन यादव अपने साथ रविन्द्रा पुत्र लाला प्रसाद के साथ लाठी लेकर आया और उसके पुत्र को गाली देते हुए कहने लगा साले चमरा जुलाहा बाबा के स्थान में बैठा है तूने मन्दिर अपवित्र कर दिया तब रोहित ने कहा की वे सार्वजनिक स्थान है, वहां सभी लोग बैठ सकते है तो उक्त राममिलन यादव व उसका साथी खफा हो गए और कहने लगे साले जुबान लड़ाता है और उक्त राममिलन लाठी डंडे व रविन्द्र लात–घूसों से मारने लगा, जिससे उसका पुत्र रोहित बुरी तरह घायल हो गया तभी मजदूरी करके उसका बड़ा पुत्र मोहित आ रहा था तो देखा कि रोहित को उक्त राममिलन व रविन्द्रा मार रहे है तब मोहिन ने ललकारा तो उसे भी बुरी तरह मारा तब उसको झगड़े की सूचना मिली तो दौड़ी–दौड़ गयी तो उक्त राममिलन ने उसको बेइज़्ज़त करने की नियत से साड़ी खींच कर फाड़ दिया व वस्त्रहीन कर दिया तब चिल्लाने पर उक्त लोग कहीं शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए, उसने देखा कि उसका पुत्र रोहित बुरी तरह घायल है तथा कान का पर्दा फट गया है। तब थाना सुमेरपुर पुत्र को लेकर गयी और प्रार्थना पत्र दिया परन्तु पुलिस ने न ही रिपोर्ट लिखी न ही डाक्टरी कराई तब उसने अपने निजी खर्चे पर इलाज कराया, वह सुमेरपुर थाने गयी परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुयी और वह लगातार थाने के चक्कर लगाती रही परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई तब जरिए रजिस्ट्री दिनांक 21.05.2026 को पुलिस अधीक्षक व उच्चाधिकारीगणों को प्रार्थना पत्र दिया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुयी तब न्यायालय के समक्ष न्याय की गरज से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रही है। उपरोक्त के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराए जाने का निवेदन किया गया।

आवेदिका की ओर सूची 5ख के माध्यम से स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति कागज सं०–6ख, रजिस्ट्री रसीद की मूल प्रति कागज सं०–7ख, पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति कागज सं०–8ख, पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूट धाम मण्डल बांदा, जिला बांदा को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति कागज सं०–9ख, पुलिस उपमहानिदेश प्रयागराज जोन प्रयागराज को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति कागज सं०–10ख, अध्यक्ष अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग विभूति खण्ड गोतमी नगर लखनऊ (उ०प्र) को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति कागज सं०–11ख, मेडिकल प्रपत्र कागज सं०–12ख/1 लगायत 12ख/4, जातिप्रमाण पत्र आवेदिका आशा की छायाप्रति कागज सं०–13ख, वकालतनामा गौतम कुमार वर्मा, जीत सिंह व हरिप्रसाद एडवोकेट कागज सं०–14ख, आदि अभिलेख दाखिल किए गए हैं।

Digitally signed by Ranveer Singh
Date: 2026.07.24 10:17:30 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

थाना सुमेरपुर, जिला हमीरपुर की आख्या के अनुसार आवेदिका का पुत्र रोहित दिनांक 02.05.2026 को सायंकाल 05:00 बजे के करीब सुलह बाबा के स्थान पर शराब पीकर बैठा था, इसी बीच गांव के राममिलन व रविन्द्रा आ आए और आवेदिका के पुत्र को सुलह बाबा देवस्थान पर दारू पीकर बैठने को लेकर दोनों पक्षों के मध्य लपटा झपटी होने का विवाद है। थाना स्थानीय पुलिस द्वारा उक्षयपक्षों के विरुद्ध अन्तर्गत धारा–126/135 बी०एन०एस०एस की कार्यवाही अमल में लायी गयी। मामले से संबंधित समस्त तथ्यों की जानकारी आवेदिका को है। प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

आवेदिका आशा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के माध्यम से नामजद विपक्षीगण के विरुद्ध दिनांक 02.05.2026 को शाम करीब 05:00 बजे सार्वजनिक जुलाहा बाबा स्थान पर बैठे रोहित को गांव के राममिलन यादव और रविन्द्रा ने जातिसूचक गालियां देकर मंदिर अपवित्र करने तथा रोहित के विरोध पर राममिलन ने लाठी और रविन्द्रा ने लात–घूसों से पीटकर उसका कान का पर्दा फाड़ डालने तथा बचाने आए बड़े भाई मोहित व मां से भी मारपीट करते हुए राममिलन ने बेइज़्ज़त करने की नियत से मां की साड़ी फाड़ देने तथा जान से मारने की धमकी देकर चले जाने आरोप लगाया है।

थाने से प्राप्त आख्या में आवेदिका के पुत्र रोहित को सुलह बाबा देवस्थान पर शराब पीकर बैठने को लेकर उभयपक्ष के मध्य विवाद होने का उल्लेख किया गया है, आवेदिका आशा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के माध्यम से नामजद विपक्षीगण के विरुद्ध दिनांक 02.05.2026 को शाम करीब 05:00 बजे सार्वजनिक जुलाहा बाबा स्थान पर बैठे रोहित को गांव के राममिलन यादव और रविन्द्रा ने जातिसूचक गालियां देकर मंदिर अपवित्र करने तथा रोहित के विरोध पर राममिलन ने लाठी और रविन्द्रा ने लात–घूसों से पीटकर उसका कान का पर्दा फाड़ डालने तथा बचाने आए बड़े भाई मोहित व मां से भी मारपीट करते हुए राममिलन ने बेइज़्ज़त करने की नियत से मां की साड़ी फाड़ देने तथा जान से मारने की धमकी देकर चले जाने का कथन किया है। आवेदिका द्वारा विपक्षीगण के विरुद्ध मारपीट में उसके पुत्र रोहित को बुरी तरह घायल होने तथा उसका कान का पर्दा फट जाने का भी कथन किया गया है। जबकि इस सम्बन्ध में आवेदिका की ओर से कोई चिकित्सीय प्रपत्र दाखिल नहीं किया गया है। आवेदिका द्वारा जो मेडिकल प्रपत्र पत्रावली पर दाखिल किया गए हैं, वे माह 2026 के हैं तथा पेट की बीमारी से सम्बन्धित हैं, जबकि आवेदिका द्वारा कथित घटना दिनांक 02.05.2026 की बतायी गयी है। मामले से संबंधित समस्त तथ्यों की जानकारी आवेदक को है। इस प्रकार न्यायालय द्वारा प्रकरण को परिवाद के रूप में दर्ज करके जांच की जा सकती है। अतः विधि व्यवस्था **सुखवासी लाल बनाम उ०प्र० राज्य, 2007(59) ACC 739(इला०–डी०बी०)** में पारित निर्णय के प्रकाश में प्रार्थना पत्र को परिवाद में दर्ज करके न्यायालय द्वारा जांच किया जाना आवश्यक प्रतीत हो रहा है, तदनुसार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है।

परिवादी दिनांक 07.08.2026 को साक्षियों सहित परीक्षा अन्तर्गत धारा–223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हेतु उपस्थित हो।

कार्यालय प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज कर नियत तिथि को न्यायालय में प्रस्तुत करें, तदनुसार प्रकीर्ण दाण्डिक वाद निस्तारित किया जाता है।

दिनांक–23.07.2026

(रनवीर सिंह)
विशेष न्यायाधीश(एससी/एसटी)एक्ट,
अपर सत्र न्यायाधीश, हमीरपुर।